मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2022

क्रमांक एफ 1–185/2021/18–1 :: विभागीय आदेश क्र. एफ 1–148/2021/18–1 दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्री मनीष वर्मा, उपयंत्री(न.नि.सेवा) नगर पालिक निगम सतना का प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से नगर पालिक निगम सागर स्थानांतरण किया गया है। उक्त स्थानांतरण के विरूद्व श्री वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 19800/2021 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 22.09.2021 को निर्णय पारित किया गया है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है:–

" In view of the submission made by the learned counsel for the parties, this writ petition is disposed of with a direction to the respondents/concerned authority to decide the aforesaid peding representation of the petitioner, as per law within a period of two weeks from the date of receipt of certified copy of the order passed today.

Till the representation is decide or for a period of two weeks, whichever is earlier, no coercive action shall be taken against the petitioner.

It is made clear that this Court has not opined on the merits of the case. With the aforesaid direction, this petition stands disposed of."

2. उक्त निर्णय के तारतम्य में आवेदक श्री वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह लेख किया है कि:–

(A) प्रार्थी नगर निगम सेवा का कर्मचारी होकर नगर निगम सतना पैतृक विभाग है। नवीन कार्मिक संरचना में 05 लाख तक के आबादी में उपयंत्री के लिये 22 पद स्वीकृत है। इन स्वीकृत पदों के विरूद्व प्रार्थी सहित कुल 12 उपयंत्री कार्यरत है, जिसमें 08 उपयंत्री प्रतिनियुक्ति पर है, प्रतिनियुक्ति पद पदस्थ 08 उपयंत्रियों में 02 उपंयत्रियों का स्थानांतरण पूर्व से ही राज्य द्वारा एवं प्रार्थी सहित 04 उपयंत्री पैतृक विभाग नगर पालिक निगम सतना के है। वर्तमान में शासन द्वारा जारी किये गये स्थानांतरण आदेशों में नगर निगम सतना में किसी भी अन्य उपयंत्री की पदस्थापना नही की गई है। नगर पालिक निगम सतना द्वारा शासन से शेष 10 उपयंत्रियों के रिक्त पदों पर पदस्थापना करने हेतु अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में **कार्यरत 12 उपयंत्रियों में 01 और उपयंत्री के स्थानांतरण कर देने से नगर निगम के विकास कार्य प्रभावित होंगे।**

निरंतर..................2

B. म.प्र. नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें किसी भी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश में एक निश्चित कारण लिखा जाना चाहिए और प्रतिनियुक्ति की अवधि स्थानांतरण आदेश मे ही निर्धारित की जानी चाहिए।

C. नगर निगम सतना द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति ना ला पाने के कारण प्रार्थी के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित है, कार्यालय नगर पालिक निगम सतना यह मानता है कि प्रार्थी विभागीय जांच में किसी भी गवाह को प्रलोभन कर बदलने, साक्ष्य को मिटाने जैसे कृत्य नही करेगा। जांच की सुचिता प्रभावित नहीं होगी और जांच में सहयोग करेगा। इसलिये कार्यालय द्वारा 09 दिवस में ही निलंबन से बहाल कर विभागीय जांच संस्थित की गई है। प्रार्थी के इस कार्यालय से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने से विभागीय जांच की पेशियों में बार–बार आने–जाने से परेशानी होगी और विभागीय जांच की कार्यवाही शीघ्र संपन्न नहीं हो पायेगी। फलस्वरूप प्रार्थी का हितसम्वर्धन नहीं हो पायेगा।

D. प्रार्थी की धर्मपत्नी गर्भवती है और वर्तमान में 08 माह का गर्भधारण किये हुये है। ऐसे में आवागमन करने स्थानांतरण में होने वाली असुविधा का सामना करने में असमर्थ है साथ ही इस संबंध में यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान में कोविड–19 का प्रकोप पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में पत्नी एवं उसके गर्भ को भी संक्रमण की संभावना बलवती रहेगी।

3. संबंधित द्वारा उक्त अभ्यावेदन के आधार पर अपना स्थानांतरण निरस्त कर यथावत् पदस्थापना रखने का अनुरोध किया है। उक्त के संबंध में लेख है कि विभागीय आदेश क्र. एफ 1–148/2021/18–1 दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्री मनीष वर्मा, उपयंत्री नगर पालिक निगम सतना का स्थानांतरण प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से रिक्त पद की पूर्ति हेतु नगर पालिक निगम सागर किया गया है।

म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–58 (5) के प्रावधान अनुसार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी नगर पालिक निगम के किसी अधिकारी या सेवक का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किसी अन्य नगर पालिक निगम को ऐसी शर्तों के साथ कर सकेगी, जो उपधारा(6) में विनिर्दिष्ट हैं, और राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश पारित करने के पूर्व वह या तो संबंधित निगमों से अथवा संबंधित अधिकारी या सेवक से परामर्श करें।

अतः उपरोक्त प्रावधान के तहत संबंधित का किया गया स्थानांतरण विधि अनुकूल है। इसके अतिरिक्त संबंधित द्वारा स्थानांतरण निरस्ती हेतु प्रस्तुत पारिवारिक व व्यक्तिगत कारण मान्य योग्य व समाधानकारक नहीं है।

निरंतर..................3

4. उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के परीक्षणोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा श्री मनीष वर्मा, उपयंत्री के अभ्यावेदन को अमान्य करते हुय नगर पालिक निगम सतना से नगर पालिक निगम सागर किये गये स्थानांतरण को यथावत रखता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तरूण राठी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल,दिनांक 18 जनवरी, 2022

पृ0 कमांक एफ 1–185/2021/18–1
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, ... म0प्र0।
5. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ....
6. संबंधित उपयंत्री ....।
7. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
8. आर्डर बुक,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग